

राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954

(1954 का अधिनियम 28)

(श्रीमान् राजप्रमुख की अनुमति दिनांक दिसम्बर 17, 1954 को प्राप्त हुई ।) राजस्थान राज्य में कतिपय स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्ध या नियंत्रण के अधीन स्थानीय निधियों की संपरीक्षा के लिये उपबंध करने और उसे विनियमित करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के पांचवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:—

1.संक्षिप्त नाम :- इस अधिनियम का नाम राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 है ।

2.प्रसार :- इस अधिनियम का प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है ।

3.परिभाषाएं:- इस अधिनियम में, जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो—

(क) “संपरीक्षक” से निदेशक* या कोई अन्य वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो अधिनियम के अधीन संपरीक्षा के कृत्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सशक्त किया गया हो;

** “(ख) “अध्यक्ष” — से किसी नगरपालिक संस्था का सभापति या अध्यक्ष या महापौर, किसी पंचायतीराज संस्था का जिला प्रमुख, प्रधान या सरपंच या किसी भी अन्य स्थानीय प्राधिकरण का, उसका नाम चाहे जो भी हो, अध्यक्ष अभिप्रेत है, और विघटित या अतिष्ठित स्थानीय प्राधिकरण की दशा में इसमें वह व्यक्ति या वे व्यक्ति भी सम्मिलित है जो ऐसे स्थानीय प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का निर्वहण करने के लिये विधिपूर्वक नियुक्त किये गये हों, ”

*** (ग) ‘संपरीक्षा’ के अन्तर्गत विशेष संपरीक्षा, पूर्व संपरीक्षा, संभवर्ती संपरीक्षा और पश्च संपरीक्षा हैं जिसमें विस्तृत संपरीक्षा और परीक्षण संपरीक्षा सम्मिलित ;

(I) “विशेष संपरीक्षा” से ऐसी किसी विनिर्दिष्ट मद या मदों की आवली से संबंधित लेखों की संपरीक्षा अभिप्रेत है जिनकी कि समग्र परीक्षा अपेक्षित हैं;

(II) “पूर्व संपरीक्षा” से किसी स्थानीय निधी में से संदाय, प्रत्याहरण या समायोजन से पूर्व की जाने वाली संपरीक्षा अभिप्रेत हैं;

* राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा प्रतिस्थापित

** राजस्थान राजपत्र, जुलाई 31, 1998 द्वारा प्रतिस्थापित

*** राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा प्रतिस्थापित

Created with



nitro PDF

professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

(iii) “संमवर्ती संपरीक्षा” से, किसी स्थानीय निधि में से संदाय, प्रत्याहरण या समायोजन करने के या तो साथ ही साथ या उसके तुरन्त पश्चात मौके पर की जाने वाली संपरीक्षा अभिप्रेत हैं;

(iv) “पश्च संपरीक्षा” से, किसी स्थानीय निधि में से संदाय, प्रत्याहरण या समायोजन के पश्चात की जाने वाली संपरीक्षा अभिप्रेत है जो संमवर्ती संपरीक्षा न हो, किन्तु इसमें विस्तृत संपरीक्षा, जिसका अभिप्राय संपूर्ण वर्ष की लेखा संपरीक्षा से हैं, और परीक्षण संपरीक्षा, जिसका अभिप्राय निदेशक या उसके द्वारा सशक्त किसी भी अन्य प्राधिकारी द्वारा यत्र-तत्र से चयनित किसी कालावधि का संपरीक्षा है; सम्मिलित है,

* (घ) “निदेशक” से, स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग का निदेशक अभिप्रेत हैं और इसमें उक्त विभाग का वरिष्ठ उप निदेशक, उपनिदेशक तथा सहायक निदेशक सम्मिलित हैं; और

** (घघ) “स्थानीय प्राधिकरण” से ऐसा कोई नगरपालिका बोर्ड, परिषद, निगम, कोई जिला परिषद, कोई पंचायत समिति, कोई पंचायत या अन्य प्राधिकरण अभिप्रेत है जो सरकार द्वारा किसी नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंधन का विधिक रूप से हकदार हो या उससे न्यस्त किया गया हो और इसमें राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसायटी, और किसी भी राजस्थान विधि के अधीन गठित ऐसी संस्थाएं, बोर्ड, अभिकरण या निकाय, साथ ही उनके समनुषंगी भी सम्मिलित होंगे जिन्हें सरकार से किसी भी रूप में वित्तीय अनुदान, सहायिकी, निधियां या वित्तीय सहायता प्राप्त होती हो ” ।

(ड.) “स्थानीय निधि” से वह निधि अभिप्रेत है जिसके नियंत्रण या प्रबन्ध के लिए कोई स्थानीय प्राधिकरण वैध रूप से हकदार है और इसमें किसी ऐसे उपकर, रेट, शुल्क, फीस या कर के, जिसे अधिरोपित करने के लिए उक्त प्राधिकरण वैध रूप से हकदार है, आगम और ऐसे प्राधिकरण में निहित कोई सम्पत्ति शामिल है ;

*** (च) विलोपित

(छ) “नियंत्रक प्राधिकारी” से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसे इस अधिनियम के अधीन नियंत्रक प्राधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत किया गया हो।

* राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा प्रतिस्थापित

** राजस्थान राजपत्र जुलाई 31, 1998 द्वारा प्रतिस्थापित

*** राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा विलोपित

4.स्थानीय प्राधिकरणों का संपरीक्षा के लिए अपने लेखे प्रस्तुत करने का दायित्व :- राज्य सरकार जिस स्थानीय प्राधिकरण के लेखों को राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा , इस अधिनियम के अधीन संपरीक्षा का विषय घोषित कर दें, उसके लेखे ऐसी किसी भी अधिनियमिति में , जिसके द्वारा उक्त स्थानीय प्राधिकरण का गठन किया गया है , या उसके अधीन बनाये किन्हीं नियमों में किसी बात के होते हुए भी सभी भांति , इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उपबंधित रीति से , संपरीक्षा के अध्यक्षीन होंगे।

5. ऐसी अवधि या अवधियों में , जो अपेक्षित की जाये , संपरीक्षा हेतु लेखों का प्रस्तुत किया जाना :- ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण का अध्यक्ष , जिसके लेखे धारा 4 के अधीन , इस अधिनियम के अधीन संपरीक्षा के अध्यक्षीन घोषित किये जाये , अपनी स्थानीय निधि के समस्त लेखों को संपरीक्षा हेतु , ऐसी रीति से और ऐसे प्ररूप में जो धारा 16 के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित किया जाये , प्रतिवर्ष या राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित अवधि या अवधियों में संपरीक्षक को प्रस्तुत करेगा या प्रस्तुत करायेगा;

* "परन्तु ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण का अध्यक्ष तुरन्त ही समवर्ती संपरीक्षा की दशा में और परीक्षण संपरीक्षा की दशा में निदेशक द्वारा वांछित कालावधि के अपने स्थानीय निधि के समस्त लेखों नियमों द्वारा विहित रीति से और प्ररूप में संपरीक्षा के लिये पेश करेगा या करायेगा"।

6. दस्तावेज पेश करने और संबंधित व्यक्तियों की उपस्थिति आदि की अपेक्षा करने की संपरीक्षक की शक्ति :- (1) इस अधिनियम के अधीन संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए संपरीक्षक -

- (क) ऐसे वाउचर , विवरणियां, पत्र-व्यवहार , टिप्पणियां या लेखों से संबंधित अन्य दस्तावेज जिन्हें वह उचित समझे , स्थानीय प्राधिकरण के मुख्य कार्यालय में प्रस्तुत करने की लिखित में अपेक्षा कर सकेगा ;
 - (ख) स्थानीय प्राधिकरण के ऐसे किसी वैतनिक सेवक से, जो ऐसे वाउचरों,विवरणियों,पत्र-व्यवहार, टिप्पणियों या अन्य दस्तावेजों को अपनी अभिरक्षा या नियंत्रण में रखता हो या उनके लिए जवाबदेह हो या ऐसे किसी व्यक्ति से , जो प्रत्यक्षतः ; परोक्षतः, स्वयं या अपने भागीदार की मार्फत स्थानीय प्राधिकरण के साथ या उसके अधीन किसी संविदा में कोई हिस्सा या हित रखता हो , व्यक्तिशः या प्राधिकृत एजेण्ट की मार्फत स्थानीय प्राधिकरण के मुख्य कार्यालय पर अपने समक्ष उपस्थित होने और उसके संबंध में किसी भी प्रश्न का उत्तर देने या तत्संबंधी किसी घोषणा पर हस्ताक्षर करने की लिखित में अपेक्षा कर सकेगा ;
 - (ग) स्थानीय प्राधिकरण के अध्यक्ष या अन्य अवैतनिक अधिकारी या सदस्य से कोई स्पष्टीकरण अपेक्षित होने की दशा में , ऐसे व्यक्ति को स्थानीय प्राधिकरण के मुख्य कार्यालय पर अपने से मिलने के लिए लिखित में निमंत्रित कर सकेगा और लिखित में ऐसे मुद्दे को विनिर्दिष्ट करेगा जिस पर उसका स्पष्टीकरण अपेक्षित है।
- (2) संपरीक्षक उप-धारा (1) के अधीन की गई किसी भी अध्यक्षीय या नियंत्रण में ऐसी समुचित अवधि नियत करेगा , जो तीन दिन से कम नहीं होगी , जिसमें उक्त अध्यक्षीय या नियंत्रण का अनुपालन किया जायेगा।

* राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा प्रतिस्थापित

(3)संपरीक्षक प्राधिकरण को उस तारीख का जिसको कि वह संपरीक्षा प्रारम्भ करने का प्रस्ताव करता है कम से कम दो सप्ताह का लिखित नोटिस देगा :परन्तु इस उप-धारा में किसी बात के होते हुए भी संपरीक्षक विशेष कारणों के आधार पर जो लेखबद्ध किये जायेंगे , दो सप्ताह से कम का नोटिस दे सकेगा या बिना नोटिस दिये राज्य सरकार अथवा नियंत्रक प्राधिकारी या निदेशक के प्राधिकार से , *समवर्ती या परीक्षण संपरीक्षा, विशेष या विस्तृत संपरीक्षा प्रारम्भ कर सकेगा।

7. धारा 6 के अधीन अध्यपेक्षा की अवज्ञा के लिए शस्ति :- (1) कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन उस पर विधि पूर्वक की गई किसी अध्यपेक्षा की उपेक्षा करता है या उसका अनुपालन करने से इन्कार करता है , मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्ध होने पर एक सौ रूपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही राज्य सरकार की या नियंत्रक प्राधिकारी की लिखित मंजूरी के बिना संस्थित नहीं की जायेगी :

परन्तु यह और किसी ऐसी मंजूरी देने से पूर्व राज्य सरकार या नियंत्रक प्राधिकारी उस व्यक्ति से, जिसके विरुद्ध कार्यवाही संस्थित की जानी है , यह कारण बतलाने की अपेक्षा करेगा कि मंजूरी क्यों न दे दी जाये।

(2)इस अधिनियम के विरुद्ध किसी अपराध पर प्रथम वर्ग-मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय विचारण नहीं करेगा।

8. कतिपय अधिकारियों और निकायो को , जैसा राज्य सरकार निदेशित करे

संपरीक्षा प्रतिवेदन का भेजा जाना :- संपरीक्षा की समाप्ति के पश्चात् , यथासाध्य शीघ्रता से किन्तु उसके पश्चात् तीन मास की समाप्ति के पूर्व , निदेशक संपरीक्षा किये हुए और परीक्षित लेखाओं पर प्रतिवेदन तैयार करेगा और ऐसे प्रतिवेदन को संबंधित स्थानीय प्राधिकरण को भेजेगा और उसकी प्रति ऐसे अधिकारियों और निकायों को भेजेगा जिनके लिए राज्य सरकार निर्देश दे।

9. निदेशक के प्रतिवेदन में क्या होगा : निदेशक अपने प्रतिवेदन में निम्नलिखित का विवरण सम्मिलित करेगा :-

(क) उस प्रत्येक भुगतान का , जो उसे विधि के प्रतिकूल प्रतीत हो ;

(ख) किसी प्रकार की ऐसी कमी , दुर्व्यय या हानि की मात्रा का , जो किसी व्यक्ति द्वारा की गई घोर उपेक्षा या अवचार के कारण हुई प्रतीत हो ;

(ग) ऐसी किसी भी प्राप्त राशि का जो किसी व्यक्ति द्वारा हिसाब में ली जानी चाहिये थी किन्तु ली नहीं गई हो ; और

(घ) ऐसी तात्विक अनौचित्य या अनियमितता का जो उसे स्थानीय प्राधिकरण के लेखाओं में या उसे देय धन की वसूली में दिखे , जो खंड (क), (ख) और (ग) के ऊपर वर्णित अनौचित्य या अनियमितता से भिन्न हो।

* राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा प्रतिस्थापित

10.स्थानीय प्राधिकरण द्वारा त्रुटियों को सुधारा जाना: धारा 8 के अधीन निदेशक के प्रतिवेदन के पश्चात् अनुसरणीय प्रक्रिया :-

(1) धारा 8 के अधीन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अध्यक्ष उन किन्हीं भी त्रुटियों या अनियमितताओं को जो प्रतिवेदन में बताई गई हों, सुधारेगा , और प्रतिवेदन पर जो कार्यवाही उसने की है या जो कार्यवाही करने का वह प्रस्ताव करता है उसके विवरण के साथ प्रतिवेदन स्थानीय प्राधिकरण की बैठक में पेश करेगा और साथ ही उस प्रतिवेदन पर अपना स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत करेगा। प्रतिवेदन प्राप्त होने से तीन मास के भीतर निदेशक को वह यह सूचना भी भेजेगा कि उसने प्रतिवेदन में बताई गई त्रुटियों या अनियमितताओं को, यदि कोई हो , सुधार दिया है अथवा उक्त अवधि में निदेशक को ऐसा ओर स्पष्टीकरण देगा जैसा स्थानीय प्राधिकरण देना चाहे।

(2) उक्त सूचना या स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर निदेशक अपने प्रतिवेदन में विचार-विमर्शतः समस्त या किन्ही मामलों के संबंध में ,—

(क) अध्यक्ष द्वारा दी गई सूचना या स्पष्टीकरण को स्वीकार कर आपत्तियों को वापस ले सकता है , या

(ख) निर्देश दे सकता है कि इस मामले की आगामी संपरीक्षा के समय अथवा किसी पूर्ववर्ती तारीख को फिर से जांच की जाये, या

(ग) यह तय कर सकता है कि प्रतिवेदन में बताई गई त्रुटियां या अनियमितताएं या उनमें से कोई, दूर नहीं की गई है या सुधारी नहीं गई हैं

(3) निदेशक उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अध्यक्ष की सूचना या स्पष्टीकरण प्राप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर अथवा, यदि अध्यक्ष ऐसी सूचना या स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है, तो उक्त उप धारा में उल्लिखित तीन मास की अवधि समाप्त हो जाने पर, अपने विनिश्चय का प्रतिवेदन नियंत्रक प्राधिकरण को भेजेगा और ऐसे प्रतिवेदन की एक प्रति अध्यक्ष को प्रेषित करेगा। यदि निदेशक का यह मत है कि कोई त्रुटियां अनियमितताएं दूर नहीं की गई हैं या सुधारी नहीं गई हैं तो अपने प्रतिवेदन में वह इस बात का कथन करेगा कि आया उसकी राय में त्रुटियों या अनियमितताओं को विनियमित किया जा सकता है और यदि ऐसा है तो किस रीति से और यदि वे नियमित नहीं की जा सकती है तो क्या वे उपभर्षित की जा सकती है और यदि ऐसा है तो किस प्राधिकारी द्वारा। वह यह भी कथन करेगा कि आया वह राशि जिससे त्रुटियां या अनियमितताएं संबंधित है , उसकी राय में , अधिभारणीय या प्रभारणीय है और यदि ऐसा है तो किस पर :

परन्तु ऐसे स्थानीय प्राधिकरणों के , जो इस बारे में विशेषतः अधिसूचित किये जाए , लेखाओं पर प्रतिवेदनों के मामले में, इस उपधारा में निर्दिष्ट प्रतिवेदन निदेशक द्वारा ऐसे अधिकारी को , जो विभागाध्यक्ष हो, प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे । ऐसा अधिकारी ऐसी कार्यवाही करेगा जो किन्हीं भी ऐसी त्रुटियों या अनियमितताओं के संबंध में जो उप-धारा (2) के खण्ड (ग) के अंतर्गत आती है और जो प्रतिवेदन में ध्यान में लाई गई हैं , आवश्यक हो। यदि उसकी यह राय है कि वे राशियाँ जिनसे ऐसी कोई त्रुटियां या अनियमितताएं संबंधित है, अधिभारणीय या प्रभारणीय है तो वह प्रतिवेदन को इस बारे में अपनी सिफारिशों के साथ नियंत्रक प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(4) संबंधित स्थानीय प्राधिकरण अपने आगामी प्रशासन प्रतिवेदन मे धारा 8 के अधीन प्रतिवेदन के ऐसे भाग को, जो उप-धारा (2) के खण्ड (ग) के अंतर्गत आने वाली त्रुटियों या अनियमितताओं से संबंधित है, उप-धारा (1) के अधीन दिए गए स्पष्टीकरण के , यदि कोई हो, और उस पर निदेशक द्वारा उप-धारा (3) के अधीन दिए गए अंतिम प्रतिवेदन के साथ प्रकाशित

Created with

करेगा। त्रुटियों और अनियमितताओं का ऐसा प्रतिवेदन स्पष्टीकरण और अंतिम प्रतिवेदन उसकी प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के लिए स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालय में जनता द्वारा निरीक्षण किए जाने हेतु उपलब्ध रहेगा।

(5) इस धारा की या धारा 9 की कोई भी बात निदेशक को, किसी भी समय, ऐसी कोई सूचना, जो निदेशक को आपराधिक दुर्विनियोग या कपट की उप-धारणा का समर्थन करने वाली प्रतीत हो या जो उसकी राय में विशेष रूप से ध्यान दिये जाने योग्य हो या तुरन्त जांच किये जाने योग्य हो, ऐसी कार्यवाही के लिए जिसे नियंत्रक प्राधिकारी आवश्यक समझे, नियंत्रक प्राधिकारी के ध्यान में लाने से नहीं रोकेगी।

11. घोर उपेक्षा या अवचार के कारण हुए अवैध भुगतान या हानि को नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अधिभारित या प्रभारित किया जाना :-

(1) नियंत्रक प्राधिकारी निदेशक भी अथवा किसी विभागाध्यक्ष की, जैसी भी स्थिति हो, धारा 10. की उप-धारा (3) के परन्तुक के अधीन सिफारिश पर विचार करने और संबंधित व्यक्ति का स्पष्टीकरण लेने, अथवा ऐसी और जांच जिसे वह आवश्यक समझे करने के पश्चात् ऐसी किसी भी मद को, जो उसे विधि के प्रतिकूल प्रतीत हो, नामंजूर कर सकता है और उसे अवैध भुगतान करने अथवा उसे प्राधिकृत करने वाले व्यक्ति पर अधिभारित कर सकता है और उसके लिए उत्तरदायी किसी भी व्यक्ति पर उस व्यक्ति द्वारा की गई घोर उपेक्षा या अवचार के कारण हुई कमी, दुर्व्यय या हानि की राशि को या प्राप्त ऐसी राशि को, जो उस व्यक्ति द्वारा लेखों में ली जानी चाहिये थी किन्तु नहीं ली गई, प्रभारित कर सकता है और ऐसे प्रत्येक मामले में ऐसे व्यक्ति से प्राप्त राशि को प्रमाणित करेगा :

परन्तु ऐसी मद के संबंध में, जो लेखाओं में सम्मिलित है, या जो सम्मिलित की जानी चाहिये थी, किन्तु 1 अप्रैल, 1955 से पूर्व के किन्हीं लेखाओं में सम्मिलित किये जाने से रह गई थी, इस अधिनियम के अधीन अधिभारित या प्रभारित करने के लिए कोई आदेश नहीं दिया जायेगा।

(2) नियंत्रक प्राधिकारी प्रत्येक अधिभार या प्रभार के संबंध में अपने विनिश्चय के कारणों को लेखबद्ध करेगा और उसकी एक प्रति रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उस व्यक्ति को भेजेगा जिसके विरुद्ध विनिश्चय किया गया है।

(3) यदि कोई व्यक्ति, जिसे उप-धारा (2) के अधीन नियंत्रक प्राधिकारी के विनिश्चय की प्रति भेजी जाती है, उसका परिदान लेने से इन्कार करता है तो यह समझा जायेगा कि उसने उस प्रति को उसी दिन प्राप्त कर लिया था जिस दिन उसने उसे लेने से इन्कार किया।

12. अधिभारों और प्रभारों की वसूली कैसे की जायेगी :-

(1) प्रत्येक राशि, जो नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति से प्राप्य प्रमाणित की जाती है, उस व्यक्ति द्वारा, नियंत्रक प्राधिकारी के विनिश्चय को प्राप्ति से एक मास के भीतर, उस कोषागार या बैंक में संदत्त की जायेगी जिसमें संबंधित स्थानीय प्राधिकारी की निधियां रखी जाती हैं, सिवाय उस दशा के जबकि ऐसा व्यक्ति उस समय के धारा 13 के उपबंधों के अनुसार न्यायालय को या राज्य सरकार को आवेदन कर दे।

(2) यदि उक्त राशि सम्यक रूप से संदत्त नहीं की जाती है, अथवा यदि धारा 13 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार नियंत्रक प्राधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध न्यायालय को या राज्य सरकार को आवेदन कर दिया गया है तो ऐसी राशि जो न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा प्राप्य घोषित की जाये इस प्रकार वसूलीय होगी मानो वह भू-राजस्व की बकाया हो।

13. अधिभार या प्रभार के आदेश के विरुद्ध आवेदन :-

(1) कोई भी व्यक्ति जो धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा दिये गये अधिभार या प्रभार के आदेश व्यथित है, नियंत्रक प्राधिकारी के विनिश्चय की प्राप्ति से एक मास के भीतर, या तो-

(क) उस आदेश को अपास्त कराने के लिए मूल अधिकारिता के मुख्य सिविल न्यायालय को आवेदन कर सकेगा और न्यायालय, उस व्यक्ति की और नियंत्रक प्राधिकारी की या उसके प्रतिनिधि की सुनवाई करने के पश्चात् ऐसा साक्ष्य लेकर जिसे वह आवश्यक समझे, ऐसे अधिभार या प्रभार को पुष्ट, उपान्तरित, या रद्द कर सकेगा और खर्चों के संबंध में ऐसे आदेश दे सकेगा जैसे वह परिस्थितियों में उचित समझे, या

(ख) ऐसे आवेदन के बजाय राज्य सरकार को आवेदन कर सकेगा, जो व्यथित व्यक्ति और नियंत्रक प्राधिकारी या उसके प्रतिनिधि की सुनवाई के पश्चात् उस पर ऐसे आदेश पारित करेगी जैसे वह उचित समझे; और इस उप-धारा के अधीन न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश अंतिम होंगे।

(2) यदि नियंत्रक प्राधिकारी के विनिश्चय के व्यथित व्यक्ति प्रथम दृष्टया प्रतीति करा दे और न्यायालय अथवा राज्य सरकार से कार्यवाहियों को रोकने का आदेश प्राप्त कर ले तो जब तक आवेदन का निपटारा न हो तब तक प्रमाण पत्र पर सब कार्यवाहियां रोक दी जायेगी।

14. संपरीक्षकों की अध्यपेक्षाओं से संबंधित व्यय स्थानीय निधियों में से संदेय होंगे:-

धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन संपरीक्षक की किसी अध्यपेक्षा की पूर्ति में स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उपगत समस्त व्यय उसकी स्थानीय निधि में से संदेय होंगे।

15. राज्य सरकार की शक्तियों और कर्घव्यों का अन्य अधिकारियों द्वारा प्रयोग :-

इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों और अधिरोपित कर्तव्यों का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये गये नियमों द्वारा सशक्त किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

16. नियम :-(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम से सुसंगत नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं भी मामलों के लिए उपबन्ध हो सकेगा अर्थात् :-

(क) वह रीति और रूप, जिसमें ऐसे किसी स्थानीय प्राधिकरण के लेखें रखे जायेंगे और प्रस्तुत किये जायेंगे, जिसके लेखे इस अधिनियम के अधीन संपरीक्षा के अध्ययीन हैं ;

(ख) संपरीक्षकों की शक्ति और कर्तव्य और संपरीक्षा करने के लिए उनके द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा वे समय जब संपरीक्षा की जा सकेगी ;

(ग) निदेशक की शक्तियां और कर्तव्य ;

(घ) वे कालान्तर जब किसी स्थानीय प्राधिकरण की स्थानीय निधि के लेखे धारा 5 के अधीन संपरीक्षा हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे ;

(ङ) अधिकारी जिन्हे धारा 15 के अधीन सशक्त किया जाना है ;

(च) वह रीति जिससे इस अधिनियम के अधीन प्रकाशित किये जाने के लिए अपेक्षित समस्त मामले प्रकाशित किये जायेंगे, और

(छ) अन्य समस्त मामले जो नियमों द्वारा विहित किये जायें या जिनका विहित किया जाना अपेक्षित हो।

* 17.विर्निदिष्ट मामलों में लेखे रखने का कर्तव्य :- इस अधिनियम में या किसी स्थानीय प्राधिकरण का गठन करने वाली किसी अधिनियमिति में या उनके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों में किसी बात के होते हुए भी निदेशक ऐसे स्थानीय प्राधिकरण या प्राधिकरणों के ऐसे लेखें रखने के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे।

**18 विलोपित।

ह0

गोपाल कृष्ण शर्मा

विधि सचिव -----

* अधिनियम 30, 1961 अधिसूचना दिनांक 21.10.61 द्वारा प्रतिस्थापित

**अधिनियम 27, 1957 अधिसूचना दिनांक 13.8.57 द्वारा विलोपित

राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 में संशोधन

30. 1954 के राजस्थान अधिनियम सं. 28 में धारा 18 का जोड़ा जाना राजस्थान अधिनियम, 1954 (1954 को अधिनियम सं.28) की विद्यमान धारा 17 के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

18. संपरीक्षा रिपोर्ट का रखा जाना- निदेशक, उसके द्वारा संपरीक्षित लेखाओं की वार्षिक समेकित रिपोर्ट सरकार को भेजेगा, जिसमें ऐसे मामले " अंतर्विष्ट होंगे जिन्हें वह सरकार के ध्यान में लाना चाहता है और सरकार, ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उसे राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखवायेगी"।

ह0

सत्य देव टाक,

प्रमुख शासन सचिव

*** अधिनियम 30, राजस्थान राज-पत्र अप्रैल 15, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित

Created with



nitro PDF

professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

LAW DEPARTMENT

THE RAJASTHAN LOCAL FUND AUDIT ACT, 1954

(ACT No XXVIII of 1954)

Published by Authority

Printed at The Government Central Press, Jaipur

Created with



nitro PDF[®]
created with

professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, December 23, 1954

No. 1. 12 (42)L/54,— The following Act of the State Legislature which received the assent of His Highness the Rajpramukh on the 17th day of December, 1954 is hereby published for general information : —

THE RAJASTHAN LOCAL FUND AUDIT ACT, 1954

(Act No. XXVIII of 1954)

[Received the assent of His Highness the Rajpramukh on the 17th day of December, 1954.]

An

Act

to provide for and regulate the Audit of the Local Funds under the management or control of certain Local Authorities in Rajasthan.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the fifth year of the Republic of India as follows: —

1. Short title,- This Act may be called the Rajasthan Local Fund Audit Act, 1954.
2. Extent, - This Act extends to the whole of Rajasthan.
3. Definitions, - In these Act, unless there is anything repugnant in the subject or context : —

(a)'Auditor' means the Examiner or any other person empowered by the State Government to perform the functions of and auditor under this Act;

(b)'Chairman' means the President or Chairman of the local authority and includes, in the case of a dissolved or superseded local authority, the person or persons lawfully appointed to exercise the powers and perform the duties of such local authority,

(c)'Detailed Audit' means an audit of accounts for the whole year;

(d)'Examiner' means the Examiner of Local Fund Accounts and includes a Deputy or Assistant Examiner of Local Fund Accounts;

(e)'Local Fund' means any fund to the control or management of which a local authority is legally entitled and includes the Proceeds of any cess, rate, duty, fee or tax which such authority is legally entitled to impose and any property vested in such authority;

Created with



nitro PDF[®]
created with

professional
PDF[®]

download the free trial online at nitropdf.com/professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

(f)'Special Audit' means an audit of accounts pertaining to a specified item or series of items requiring thorough examination;

(g)'Controlling Authority' means any officer appointed or authorized by the State Government to perform the functions of the Controlling Authority under this Act.

4.Liability of local authorities to submit their accounts for Audit The accounts of any local authority whose accounts are declared by the State Government, by notification in the Rajasthan Gazette, to be subject to audit under this Act, shall, notwithstanding anything contained in any enactment, by which such local authority is constituted, or in any rules made thereunder, be subject to audit in all respects in the manner provided by or under this Act.

5.Accounts to be submitted for Audit at such period or periods as may be required.-The Chairman of every local authority whose accounts are declared under section 4 to be subject to audit under this Act, shall present or cause to be presented for audit all accounts of its local fund in the manner and form prescribed by rules under section 16 to the auditor yearly or at such period or periods as may be required by the State Government.

6.Power of auditor to require production of documents and attendance of persons concerned etc.-(1) For the purpose of any audit under this Act, an auditor may-

(a)require in writing the production at the head office of the local authority of such vouchers, statements, returns, correspondence, notes or other documents in relation to the accounts as may think fit;

(b)require in writing any salaried servant of the local authority accountable for of having the custody or control of such vouchers, statements, returns, correspondence, notes or other documents or any person having, directly, indirectly, by himself or his partner, any share or interest in any contract with or under the local authority, to appear in person or an authorised agent before him at the head office of the local authority, to answer any question or sign a declaration with respect thereto;

(c)in the event of an explanation being required from the chairman or other honorary officer or member of a local authority, in writing invites such person to meet him at the head office of the local authority and shall in writing specify the point on which his explanation is required.

(2) The auditor may, in any requisition or invitation made under sub-section (1), fix a reasonable period, not being less than three days within which the said requisition or invitation shall be complied with.

(3) The auditor shall give to the local authority not less than two weeks' notice in writing of the date on which he proposes to commence the audit; Provided that, notwithstanding anything contained in this sub-section the Auditor may, for special reasons which shall be recorded in writing give shorter notice than two weeks or commence a special or detailed audit on the authority of the State Government or the Controlling Authority or the Examiner without giving notice.

7. Penalty for disobeying requisition under section 6 -(1) Any person who willfully neglects or refuses to comply with any requisition lawfully made upon him under clause (a) or clause (b) of sub-section (1) of section 6 shall be liable, on conviction before a Magistrate, to a fine which may extend to a fine which may extend to one hundred rupees:

Provided that no proceedings under this section shall be instituted except on the written sanction of the State Government, or the Controlling Authority:

Provided further that before giving such sanction the State Government or the Controlling Authority shall call upon the person against whom the proceedings are to be instituted to show cause why the sanction should not be given.

(2) No court inferior to that of a Magistrate of the first class shall try any offence against this Act.

8. Audit report to be sent to certain officers and bodies as Government may direct. - As soon as practicable after completion of the audit, but not later than three months thereafter, the Examiner shall prepare a report on the accounts audited and examined and shall send such report to the local authority concerned and copies thereof to such officers and bodies as the State Government may direct.

9. Examiner's Report what to contain.- The examiner shall include in His report a statement of-

- (a) every payment which appears to him to be contrary to law;
- (b) the amount of any deficiency, waste or loss which appears to have been caused by the gross negligence or misconduct of any person;
- (c) the amount of any sum received which ought to have been but is not brought into account by any person, and

(d) any material impropriety or irregularity which he may observe in the account of or in the recovery of money due to the local authority, other than those mentioned in clause (a), (b) and (c) above.

10. Local authority to remedy defects: procedure to be followed after report of the examiner under section 8. - (1) On receipt of a report under section 8, the Chairman shall remedy any defects or irregularities which may have been pointed out in the report, and shall place the report, together with a statement of the action taken or proposed to be taken thereon and an explanation in regard thereto before a meeting of the local authority. He shall also, within three months of the receipt of the report, sent to the Examiner intimation of his having remedied the defects or irregularities, if any, pointed out in the report, or shall, within the said period, supply the Examiner any further explanation in regard to such defects or irregularities as the local authority may wish to give.

(2) On receipt of such intimation or explanation the Examiner may, in respect of all or any of the matters discussed in his report-

(a) Accept the intimation or explanation given by the chairman and withdraw the objection, or

(b) direct that the matter be re-investigated at the next audit or at any earlier date, or

(c) hold that the defects or irregularities pointed out in the report or any of them have not been removed or remedied.

(3) The Examiner shall send a report of his decision to the Controlling Authority within one month of the date of the receipt by him of the intimation or explanation of the Chairman referred to in sub-section (1) or, in the event of the Chairman failing to give such intimation or explanation, on the expiry of the period of three months mentioned in the said sub-section and shall forward a copy of such report to the Chairman. If the Examiner holds that any defects or irregularities have not been removed or remedied he shall state in the report whether, in his opinion, the defects or irregularities can be regularized, and, if so, by what method; and if they do not admit of being regularized, whether they can be condoned and, if so, by what authority. He shall also state whether the amounts to which the defects or irregularities relate should, in his opinion, be surcharged or charged and, if so against whom:

Provided that in the case of reports on the accounts of such local authorities as are specially notified by the State Government in this behalf the report referred to in this sub-section shall be submitted by the Examiner to such officer, being the Head of a Department, as the State Government may direct. Such officer shall take such action as may be necessary regarding any defects or irregularities falling under clause (c) of sub-section (2) which may have been brought to notice in the report. If he is of the opinion that the amounts to which any such defects or irregularities relate should be surcharged or charged, he shall forward the report to the Controlling Authority with his recommendation in that behalf.

(4) the local authority concerned shall publish in its next administration report such portion of the report under Section 8 as deal with defects and irregularities falling under clause (c) of sub-section (2), together with the explanation there of, if any, given under sub-section (1), and the final report of the Examiner thereon given under sub-section (3). Such report of defects and irregularities, explanation and final report shall be for a period of one month from the date of their receipt.

(5) Nothing in this section or in section 9 shall preclude the Examiner at any time from bringing to the notice of the Controlling Authority for such action as the Controlling Authority may consider necessary, any information which appears to the Examiner to support a presumption of criminal mis-appropriation or fraud or fraud or which in his opinion deserves special attention or immediate investigation.

(11) Controlling Authority to surcharge or charge illegal payment or loss caused by gross negligence or misconduct.-(1) The Controlling Authority may after considering the recommendation of the Examiner or of any head of a Department under the proviso to sub-section (3) of Section 10, as the case may be, and after taking the explanation of the person concerned, or making such further inquiry, as he may consider necessary, disallow any item which appears to him to be contrary to law and surcharge the same on the person making or authorising the making of, the illegal payment and may charge against any person responsible therefore the amount of any deficiency, waste or loss caused by the gross negligence or misconduct of that person or any sum received which ought to have been but is not brought into account by that person and shall, in every such case, certify the amount due from such person:

Provided that no order of surcharge or charge shall be made under this Act in respect of any item included in, or which ought to have been included in, but was omitted from any accounts for any period prior to 1st April, 1955.

(2) The controlling Authority shall state in writing the reasons for its decision in respect of every surcharge or charge and shall send by registered post a copy thereof to the person against whom it is made.

(3) If a person to whom a copy of the decision of the controlling Authority is sent under sub-section (2) refuses to take delivery thereof, he shall be deemed to have duly received it on the day on which it was refused by him.

12. Recovery of surcharges and charges how made.-(1) Every sum certified by the controlling Authority to be due from any person under sub-section (1) of section 11 shall be paid by such person into the Treasury of Bank in which the funds of the local authority concerned are lodged, within, one month from the receipt by him of the decision of the controlling Authority, unless within that time such person has applied to the court or to the State Government as provided in section 13.

(2) The said sum, if not duly paid, or if an application has been made to the Court or to the State Government against the decision of the controlling Authority as provided in sub-section (1) of Section 13, such sum as the Court or the State Government shall declare to be due, shall be recoverable as if it were an arrear of land revenue.

13. Application against order of surcharge or charge.-(1) Any person aggrieved by any order of surcharge or charge made by the controlling Authority under sub-section (1) of section 11 may, within one month from the receipt by him of the decision of the controlling Authority either-

(a) apply to the principal Civil Court of original jurisdiction to set aside such order: and the Court (after hearing such person and the controlling Authority or his representative and) taking such evidence as it thinks necessary, may confirm, modify or remit such surcharge or charge and make such orders as to costs as it thinks proper in the circumstances; or

(b) in lieu of such application, apply to the State Government which shall, after hearing the person aggrieved and the controlling Authority or his representative, pass such orders thereon as it thinks fit, and the orders made by the Court or the State Government under this sub-section shall be final.

(2) Pending disposal of the application all proceedings on ti certificate shall be stayed if the person aggrieved by the decision of ti controlling Authority makes out a prima facie case and obtains from ti Court or the State Government an order staying proceedings.

14. Expenses in respect of requisition of auditors to be payable of local funds.- All expenses incurred by a local authority in complying any requisition of an auditor under sub-section (1) of section 6 shall payable out of its local fund.

15. Exercise of powers and duties of Government may by other officers. The powers and duties conferred and imposed upon the State Government by or under this Act may be exercised by any officer empowered by the State Government by rules made in this behalf.

16. Rules.-(1) The State Government may by notification in the Rajasthan Gazette, make rules, not inconsistent with this Act, for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) The manner and form n which the accounts of a local authority, whose accounts are subject to audit under this Act, shall be be kept and presented;

(b) The power and duties of auditors and procedure to followed by them for conducting an audit and the times at whid such audit may be conducted;

(c) The powers and duties of the Examiner;

(d) The periods at which accounts of the local fund of a local authority shall be submitted for audit under section 5;

(e) The officer or officers to be empowered under section 1.

(f) The manner in which all matters required to be published under this Act shall be published; and

(g) All other matters which may be or are required to be prescribed by rules.

17. Duty to maintain accounts in specified cases.- Notwithstanding anything in this Act or in any enactment constituting any local authority or in any rules made there under the Examiner shall perform such duties and exercise such powers in relation to maintenance of such accounts of such local authority or authorities as the State Government may direct.

(Inserted vide Act 30 of 1961 vide Notification No. F. 7 (43) L (A)/61, dated 21-10-1961).

PRABHU DAYAL LOIWAL
Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.

Created with



nitro PDF[®]
created with

professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

[Published in Rajasthan Gazette, Extraordinary dated 21st April, 1987.]

LEGISLATIVE DRAFTING DEPARTMENT NOTIFICATION

Jaipur, April 21, 1987.

F. 2 (6) Vidhai/85. The following Act of the State Legislature received the Assent of the on the 20th day of April, 1987 and is hereby for general information:-

RAJASTHAN LOCAL FUND AUDIT (AMENDMENT) ACT, 1987

(Act No. 17 of 1987)

[Received the Assent of the Government on the 20th April, 1987.]

An
Act

further to amend the Rajasthan Local Fund Audit Act, 1954.

it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Thirty-eighth.....the Republic of India as follows :-

Short title and commencement. (1) This Act may be called the Rajasthan Local Fund Audit (Amendment) Act, 1987.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of section 3, Rajasthan Act 28 of 1954.- In section the the Rajasthan Local Fund Audit Act, 1954 (Rajasthan Act 28 of 1954), hereinafter referred to as the principal Act,-

(A) for clause (c), the following clause shall be and shall be deemed always to have been substituted, namely :-

"(c) "Audit" includes Special Audit, Pre-Audit, Concurrent Audit, Post Audit including Detailed Audit and Test Audit.

(i) "Special Audit" means an audit of accounts pertaining to a specified item or series of items requiring thorough examination;

(ii) "Pre-Audit" Means audit before payment, withdrawal or adjustment out a local fund;

Created with



nitro PDF[®]
created with

professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

- (iii) "Concurrent Audit" means audit on the spot, either simultaneously with or soon after the making of payment, withdrawal or adjustment out of a Local Fund; and
- (iv) "Post Audit" means audit after making of payment withdrawal or adjustment out of a local fund, which is not concurrent Audit but includes Detailed Audit which means an audit of accounts for the whole year and Test Audit which means an audit of a certain period selected at random by the Director or any other authority empowered by him";

(b) for clause (d) the following clause shall be substituted, namely.

"(d)" Director" means the Director of Local Fund Audit Department and includes a senior Deputy Director, Deputy Director and an Assistant Director of the said department and

(c) clause (f) shall be deleted.

3. Amendment of section 3,6,8,9,10,11,16, and 17, Rajasthan act 28 of 1954.- For the word "Examiner" wherever occurring in section 3,6,8,9,10,11,16, and 17 of the principal Act, the word "Director" shall be substituted.

4. Amendment of section 5, Rajasthan Act 28 of 1954.- in section 5 of the principal Act,-

(a) for the punctuation mark full stop existing after the words the State Government", the punctuation mark colon shall be constituted; and

(b) the following proviso shall be added, namely :-

"Provided that the chairman of every such Local Authority shall present or cause to be presented for audit all accounts of its local fund in the manner and from prescribed by rules immediately in the case of concurrent audit and in the case of test audit for the period as demanded 'by the Director."

Amendment of section 6, Rajasthan Act 28 of 1954.- In the provisions in section (3) of section 6 of the principal Act, the expression or test audit or" shall be inserted after the expression "or once

Secretary to the Government

Created with

CHAPTER X
AMENDMENTS IN THE RAJASTHAN LOCAL FUND AUDIT ACT,
1954

38. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 28 of 1954.- In section 3 of the Rajasthan Local Fund Audit Act,

(i) For the existing clause (b), the following shall be substituted, namely:-

"(b) " Chairman" means the President, Chairman, Mayor of a Municipal institution, Zila Pramukh, Prahdhan, or Sarpanch of a Panchayat Raj Institution or Chairperson of any other local authority, by whatever name called, and in case of a dissolved or superseded local authority, the person or persons lawfully appointed to exercise the powers and perform the duties of such local authority,"

(ii) After the existing clause (d) and before the existing clause (e), the following clause shall be inserted, namely:

"(dd)" " local authority" shall mean a municipal Board, Council, Corporation, a Zila Parishad, a Panchayat Samiti, a Panchayat or other authority legally entitled to or entrusted by the Government with the control or management of a municipal or local fund, and shall include, a society registered under the Rajasthan Societies Registration Act, 1958 (Act No. 28 of 1958); and other institutions, Boards, agencies or bodies as also subsidiaries thereof constituted under any Rajasthan law, which are in receipt of financial grant, subsidy, funds or financial assistance in any form from the Government;"

CHAPTER VIII
AMENDMENTS IN THE RAJASTHAN LOCAL FUND AUDIT ACT,
1954

30. Addition of section 18, Rajasthan Act No. 28 of 1954.- after the existing section 17 of the Rajasthan Local Fund Audit Act, 1954 (Act No. 28 of 1954), the following new section shall be added, namely:-

"18. Laying of audit report.- The Director shall send to the Government annually a consolidated report of the accounts audited by him containing such matters which he intends to bring to their notice and the Government shall, after the receipt of the same, cause it to be laid before the State Legislature."

Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.

Created with



nitro PDF[®]
created with

professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional